असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस Notice for Extraordinary General Meeting

मंगलवार, 22 दिसंबर, 2015, प्रातः 10.00 बजे, वडोदरा Tuesday, 22nd December, 2015 at 10.00 a.m. At Vadodara



निवेशक सेवाएं विभागः

बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, तृतीय तल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com

INVESTORS' SERVICES DEPARTMENT

Baroda Corporate Centre, 3rd Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 Email: investorservices@bankofbaroda.com



कार्यक्रमों की प्रमुख तारीखें IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS	
चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों के निधार्रण की विनिर्दिष्ट/अंतिम तारीख	शुक्रवार, १३ नवम्बर, २०१५
Specified/Cut-off date for ascertaining the Shareholders entitled to participate in the election	Friday, 13th November, 2015
नामांकन फार्म जमा करने की अंतिम तारीख	सोमवार, ७ दिसंबर, २०१५ (शाम ५.०० बजे तक)
Last date of submission of nomination forms on or before	Monday, 7th December, 2015 (Upto 5.00 p.m.)
नामांकन फार्मों की जांच	मंगलवार, ८ दिसंबर, २०१५
Scrutiny of Nominations	Tuesday, 8th December, 2015
ई-वोटिंग	शनिवार, 19 दिसंबर, 2015 (सुबह 9.00 बजे) से सोमवार, 21 दिसंबर, 2015 (शाम 5.00 बजे तक)
E-Voting	Saturday, 19th December, 2015 (From 9.00 a.m.) to Monday, 21st December 2015 (Upto 5.00 p.m.)
प्राक्सी फॉर्म और प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति से संबंधित संकल्प के प्राप्त होने की अंतिम तारीख	गुरुवार, १७ दिसंबर, २०१५ (शाम ५.०० बजे तक)
Last date of receipt of Proxy Form and resolutions appointing Authorized Representative	Thursday, 17th December, 2015 (Upto 5.00 p.m.)
असाधारण सामान्य बैठक की तारीख एवं समय	मंगलवार, २२ दिसंबर, २०१५ (सुबह १० बजे)
Date and time of Extraordinary General Meeting	Tuesday, 22nd December, 2015 (At 10 a.m.)



विषय CONTENTS

	पृष्ठ सं. Page No.
नोटिस	
NOTICE	2
टिप्पणियां	
NOTES	3
व्याख्यात्मक विवरण	
EXPLANATORY STATEMENT	9
नामांकन फार्म	
NOMINATION FORM	21
घोषणा पत्र	
DECLARATION	23
व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवंम् वचन पत्र	
PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING	27
प्रॉक्सी फार्म	
FORM OF PROXY	35



बैंक ऑफ़ बड़ीदा

प्रधान कार्यालय : मांडवी, बड़ौदा 390 006

कार्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक,

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda - 390 006

Corporate Office : Baroda Corporate Centre, C-26, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051

नोटिस

एतदद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखत कार्यों का संचालन करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक मंगलवार, 22 दिसंबर, 2015 को सुबह 10:00 बजे सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी. - 1 एफ. पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - 390020 में संपन्न होगी:

1. बैंककारी कंपनी विनिमयन अधिनियम, 1949 (इसके बाद जिसे "विनियमन अधिनियम" कहा गया है) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, १९७० (इसके बाद इसका उल्लेख "योजना" के रूप में किया गया है) अधिनियम की धारा 19 के अनुसार निर्मित, के साथ पिठत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम १९७० (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9 (3)(i) और बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, १९९८ (इसके बाद इसका उल्लेख "विनियमन"के रूप में किया गया है) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना (इसका उल्लेख भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना के रूप में किया गया है), सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा २५ मार्च, २०१५ को दिशानिर्देशों के साथ पठित, सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. ४६ और ४७/२९.३९.००१/२००७-०८ दिनांक १ नवंबर, २००७ और सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011, के अनुसार बैंक के केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से, जिनके वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, उनमें से एक निदेशक का चुनाव करने तथा चुनाव के बाद निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

यह संकल्प पारित किया जाता है कि संबद्ध योजना के साथ पिठत अधिनियम की धारा 9 (3)(i), उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना एवं भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निदेशक के रूप में चुने गये को अपना कार्यभार संभालने के लिए चुनाव की तारीख से अगले दिन से बैंक के निदेशक के रूप में एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है और वे ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अविध पूर्ण होने तक अपने पद बने रहेंगे.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पी. एश जियुक्तार

(पी. एस. जयकुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on Tuesday, 22nd December, 2015 at 10.00 a.m. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020, to transact the following business:

To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (here in after referred as "the Regulation Act"), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification Nos.DBODNo.BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 and No.DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") read with guidelines dated 25th March 2015 issued by Government of India for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks and AFTER ELECTION pass the following resolution:-

> By Order of Board of Directors FOR BANK OF BARODA

> > P. S. JAYAKUMAR Managing Director & CEO

Place: Mumbai Date: 6th November, 2015

स्थान : मुंबई

दिनांक : ६ नवम्बर, २०१५



नोट

1. व्याख्यात्मक विवरण :

व्याख्यात्मक विवरण बैठक के व्यवसाय के संबंध में तात्विक तथ्यों से प्रारंभ किया गया है, इसके साथ संलग्न है.

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकेगा/सकेगी (बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा अन्य को) और यह आवशयक नहीं होगा कि नियुक्त प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो. प्रॉक्सी का कोई भी विलेख तभी वैध माना जाएगा, जब वह इस नोटिस के साथ भेजे गए फॉर्म "बी" में भरा गया हो. उक्त प्रॉक्सी तभी प्रभावी मानी जाएगी यदि वह बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार, 17 दिसम्बर, 2015 को सांय 5.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवायसी एवं एएमएल विभाग, 8वां तल, सूरज प्लाजा-I, सयाजीगंज, बड़ौदा-390 005 स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाएगी और इसके साथ मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र यदि पूर्व में बैंक में जमा और पंजीकृत न किया गया हो, को भी साथ में भेजा जाएगा.

3. प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक, जिसमें यह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रमाणित न किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार, 17 दिसम्बर, 2015 को बैंक का कार्य समय समाप्त होने अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा न कर दिया गया हो.

4. नोटिस में उल्लिखित अनुसार बैंक के केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से, एक निदेशक के चुनाव के लिए चुनाव अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट करने में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन से शुक्रवार, 13 नवम्बर, 2015 को विनिर्दिष्ट/ अंतिम तारीख निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है.

5. मताधिकार :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनयम 1970 की धारा 3 की उपधारा (२ई) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को केंद्रीय सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10 प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा. (तथापि केन्द्रीय सरकार निदेशक के चुनाव में भाग लेने हेतु अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट करने के लिए पात्र नहीं है.)

NOTES:

1. Explanatory Statement

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. Appointment of Proxy:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed with this Notice. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office situated at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Thursday, 17th December 2015 together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. Appointment of Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Thursday, 17th December 2015.

4. Specified/ Cut-Off Date:

It has been decided to fix **Friday**, 13th **November 2015** as Specified/Cut-Off Date for the purpose of determining the list of Shareholders entitled to participate in the Election i.e. to **Nominate**, **Contest and Vote** for the Election of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

5. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the Bank as on the Specified/Cut-off Date fixed for the purpose. (However, the Central Government is not entitled to participate in the election of Director i.e. to Nominate, Contest and Vote.)



अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अध्यधीन प्रत्येक शेयरधारक उपर्युक्त में वोट देने के लिए पात्र है, जो कंपनी नहीं है, वर्तमान में एक व्यक्ति है या प्रॉक्सी द्वारा या जो कंपनी के रूप में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, या प्रॉक्सी द्वारा नामित है, उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने हेतु पात्र होगा.

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रिजस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही बैठक में नामांकन करने, चुनाव लड़ने तथा मत देने का पात्र होणा.

6. उपस्थिति - पर्ची सह प्रवेश पत्र-सह मत-पत्रक (उपस्थिति पर्ची) :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड के आवश्यक विवरण सहित उपस्थिति पर्ची-प्रवेशपत्र-सह-मतपत्रक संलग्न है. शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग सुविधा से मत देने का विकल्प है, जो ई-वोटिंग सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाह-ते वे असाधारण बैठक की तारीख को बैठक स्थल पर अपना मत दे सकते हैं. ऐसे सभी शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों /प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची में प्रिंट किए गय विवरण को जांच लें और यदि कोई खाली स्थान हो तो उसे भरें, उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द कर दें. प्रॉक्सी /शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची -सह प्रवेश पत्र में स्पष्ट करें कि वह "प्रॉक्सी" है या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में है, जैसा मामला हो. मतपत्र पास/एंट्री पास को उन्हें सुपुर्द करना होगा तािक वे बैठक में मतदान में भाग ले सकें.

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा पहले से ही अपना वोट डाल दिया है वे बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु अपना वोट पुनः नहीं दे सकते.

7. रिमोट ई-वोटिंग

स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीयन करार के संशोधित खंड 35बी के अनुसरण में, आपके बैंक को अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिससे कि वे नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सके, जिसके लिए ई-वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर्स प्रा. लि. को ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है. बैंक ने सर्वश्री एस.एन. अनंतसुब्रहमणयन एंड कं., प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया का उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है. ई-वोटिंग वैकल्पिक है. इस अंतिम तथा विनिर्दिष्ट तारीख को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे.

ई -वोटिंग से संबंधित शैड्यूल/अनुदेश निम्नानुसार है : -

क) वोटिंग के लिए पोर्टल शनिवार, 19 दिसंबर, 2015 को सुबह 9:00 बजे से सोमवार, 21 दिसंबर, 2015 को शाम 5:00 बजे तक (दोनों Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every Shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

6. Attendance Slip-Cum Entry Pass Cum Ballot Paper Pass (The Attendance Slip):

For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is attached with this Notice, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote e-voting facility can cast their vote at the Voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of the EGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of Shareholders should state on the Attendance-Slip as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The portion of Ballot Paper Pass/ Entry Pass shall be surrendered to enable them to participate at the voting at the meeting.

Shareholders, who have already exercised their vote through remote e-voting, can attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

7. Remote E-Voting

Pursuant to Clause 35B of Listing Agreement with Stock Exchanges, your Bank is pleased to provide remote E-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Karvy Computershare Private Limited as the e-voting agency to provide the remote-voting platform. The Bank has appointed M/s S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. To participate through **E-voting is optional**. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Specified/Cut-Off Date** may cast their vote electronically, through remote E-voting.

The schedule/instructions for E-Voting are as under:

 The Portal will remain open for voting from 9.00 a.m. on Saturday, 19th December 2015 up to 5.00



दिन शामिल) उपलब्ध रहेगा.

- ख) ई-वोटिंग के लिए इस यूआरएल का उपयोग करें : https://evot-ing.karvy.com
- ग) लॉग-इन क्रेडेंसियल की अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लेखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड को प्रविष्ट करें.
- इपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें.
- ड.) लॉग-इन करने पर, शेयरधारक जिन्होंने नया पासवर्ड डाला है, 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां उन्हें अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A से Z), एक लॉअर केस (a से z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सिहत न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई- मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु शेयरधारक अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. यह दृढ़तापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.
- च) आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.
- छ) सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको इवेंट, अर्थात **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** का चयन करने हेतु कहेगा.
 - ं जो विनिर्दिष्ट तारीख अर्थात् १३ नवम्बर, २०१५ को शेयरधारक हैं, स्क्रीन पर जिनके नाम प्रदर्शित हो रहे हैं उन उम्मीदवारों में से अधिकतम एक उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट कर सकते हैं. एक से अधिक उम्मीदवार को वोट करने से आपका वोट अमान्य होगा.
 - ii पुष्टि करने हेतु "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु "CANCEL" पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक चुनाव में वोट देने तक कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है
- ज) एक से अधिक फोलियो/डिमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगा. तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमित नहीं होगी. साथ ही, भारत सरकार इस नोटिस की कार्यसूची मद पर वोट करने हेतु पात्र नहीं है.

p.m. on Monday, 21st December 2015 (both days inclusive).

- To use the following URL for e-voting: https://evoting.karvy.com
- Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip attached with this Notice.
- After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- e) On Log-in, the Shareholders, who have been assigned the fresh passwords, will reach the Password change menu, wherein they are required to mandatorily change their respective password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt to change in password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. Shareholders can also enter the secret question and answer of their choice to retrieve their passwords in case the same is forgotten. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- f) You need to login again with the new credentials.
- On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., Bank of Baroda.
 - (i) Those holding shares as on the Specified/Cut-Off Date i.e. 13th November 2015, can cast their vote in favour of maximum ONE candidate, out of the contesting candidates whose names will appear on the screen. Casting vote exceeding ONE candidate shall render your vote as invalid.
 - (ii) Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the Election.
- h) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank. The Government of India is not entitled to vote on the Agenda item in this Notice.



- झ) संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के अधिप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड /संकल्प के प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति <u>Scrutinizer@</u> <u>snaco.net</u> पर ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है.
- ञ) एक बार आप चुनाव पर वोट दे देते हैं तो उसके बाद आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते.
- ट) किसी भी जानकारी के लिए आप https://evoting.karvy. com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल संबंधी प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) का अवलोकन कर सकते हैं. अथवा मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के श्री एस वी राजू, उप महाप्रबंधक (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा) से कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गविबोवली, फायर्नेसियल डिस्ट्रिक, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद 500 032 से फोन नं. 040 67162222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.
- वह दृढ़तापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य
 को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.
 - कृपया अद्यतन ई-वोटिंग निर्देशों के लिए ई-वोटिंग पोर्टल अर्थात् https://evoting.karvy.com देखें अथवा ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार ई-वोटिंग एजेंसी से संपर्क करें.

8 असाधारण सामान्य बैठक में चुनावी प्रक्रिया

बैठक में चुनाव की कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, ई-वोटिंग साथ ही साथ मतदान के माध्यम से होगी. जो रिमोट ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहते वे बैठक की तारीख को असाधारण सामान्य बैठक के स्थल पर आयोजित किए जाने वाले मतदान में अपना वोट देने के पात्र होंगे. बैठक में इस प्रक्रिया के बारे में परामर्शदाताओं द्वारा व्याख्या की जाएगी. वोटों की संख्या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट/कट-ऑफ-तारीख अर्थात् 13 नवम्बर 2015 को धारित शेयरों की संख्या के समान होगी.

बैठक में चुनाव में मतदान बैंक द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य चुनाव अधिकारी के पर्यवेक्षण में आयोजित किया जाएगा और सर्वश्री एस. एन. अनंतसुब्रहमणयन एंड कं. प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव संवीक्षक के रूप में कार्य करेगी, उसकी निगरानी केन्द्रीय सरकार के नामिति द्वारा की जाएगी, जो स्वंतत्र पर्यवेक्षक तथा द्वितीय संवीक्षक के रूप में कार्य करेगा.

9. ई-वोटिंग तथा मतदान का परिणाम :

रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक में मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और कार्वी की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा.

- i) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net
- Once you have cast your vote on the election you will not be allowed to modify it subsequently.
- k) In case of queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com. or contact Mr. S.V. Raju, DGM (Unit: Bank of Baroda) of Karvy Computershare Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal Hyderabad 500 032 at phone no. 040 6716 2222 or at 1800 345 4001 (toll free).
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
 - FOR UPDATED E-VOTING INSTRUCTION, PLEASE VISIT e-voting portal i.e. https://evoting.karvy.com, OR CONTACT E-VOTING AGENCY AT THE CONTACT DETAILS GIVEN ABOVE.

8. Voting Process at the EGM

The voting on the Agenda Item of Election shall be done by e-voting as well as by Voting at the meeting. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate and vote at the voting to be conducted at the venue of the EGM on the date of the meeting, the process of which will be explained at the meeting by the consultants. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Specified/Cut-Off Date i.e., 13th November 2015.

The voting at the meeting on the Agenda on the Election shall be conducted under the supervision of Chief Returning Officer appointed by the Bank. M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co. Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an independent Observer and Second Scrutinizer.

9. Results of E-Voting and Poll

The consolidated results of remote E-Voting and Voting at the EGM will be announced at the end of the Meeting and also hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Karvy.



10. पते में परिवर्तन :

- क) संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए और एनएसडीएल/सीडीएसएल पर पंजीकृत पते को बैंक द्वारा नोटिस पत्राचार भेजने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपाजिटरी खाते में पंजीकृत पते को अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन किया जाना चिहए तािक उसे तुरंत अद्यतन किया जा सकें. बैंक अथवा इसका रिजस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्यवाही नहीं करेगा जो पते से संबंधित हों. ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चािहए.
- ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रिजस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद को इस नोटिस में उपलब्ध पते पर तथा बैंक की वेबसाइट पर भी दें.
- ग) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में है) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

11. फोलियो का समेकन :

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रिजस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

12. भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरणः

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करना चाहिए जहां उनका अपना डीमेट खाता है.

13. अंतरणों के लिए प्रस्तुतीकरण :

शेयर प्रमाण-पत्र/पत्रों को अंतरण विलेख/विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए-

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.

(यूनिट- बैंक ऑफ़ बड़ौदा) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गविबोवली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली हैदराबाद - 500 032 फोन नं. 040 67162222, फैक्स नं. 040 23420814,

ई-मेल : <u>einward.ris@karvy.com</u>

टोल फ्री 1800 345 4001

10. Change of Address:

- a) The Bank for sending Notices/communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that address registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.
- b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad at the address available in this Notice and also on Bank Website.
- c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

11. Consolidation of Folios:

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

12. Dematerialization of Physical Holdings:

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account.

13. Lodgments for Transfers:

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at the following address.

Karvy Computershare Pvt. Ltd

(Unit :- BANK OF BARODA)
Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 & 32
Gachibowli, Financial District,
Nanakramguda, Serilingampally Mandal,
Hyderabad – 500 032
Phone No. 040 6716 2222,

Fax No. 040 3710 2222, Fax No. 040 23420814, Toll Free: 1800 345 4001

E- mail : einward.ris@karvy.com,



14. दावा न किए गए/ अदत्त लाभांश, यदि कोई हों:

शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के मद्देनज़र सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु / दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें.

"अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि ये अदावाकृत /अप्रदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.बैंक ने वित्तीय वर्ष 2007-08 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2008-09 से आगे के अदत्त लाभांश के विवरण के लिए निवेशक बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in देख सकते हैं.

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2008-09 के बाद से (अभी तक आईईपीएफ को अंतरित नहीं हुआ है) अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे रिजस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट हैदराबाद से (उपरोक्त पते पर) अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नितियत पते पर सीधे संपर्क करें:

निवेशक सेवाएं विभाग बैंक ऑफ़ बड़ौदा, तीसरी मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051. ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

15. अधिनयम की धारा 9 (3)(i) के अनुसार इस नोटिस के तहत केंद्र सरकार के अलावा सभी शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के संबंध में लम्बित रिट याचिकाओं के अधीन होगा, जो 03.11.2014 के नोटिस के माध्यम से 23.12.2014 को आयोजित किया जाना था, जो (i) श्री आशीष भिवानीवाला बनाम बैंक ऑफ़ बड़ौदा एवं अन्य रि.या. सं. 2014 की 32456(w) जो माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में लम्बित है.तथा (ii) श्रीमती श्रुति भार्गव व अन्य बनाम बैंक ऑ. फ बड़ौदा एवं अन्य (सं 2014 की रि.या.सं. 12893) माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बैंच में लम्बित है.

14. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2007-08 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2008-09 onwards, the Shareholders may visit Bank's website "www.bankofbaroda.co.in"

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years i.e. from FY 2008-09 onwards (not yet transferred to IEPF) are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address (para 8) or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address:

Investors' Services Department Bank of Baroda, 3rd Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051.

E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

15. The election of ONE Director, pursuant to the provisions under Section 9(3) (i) of the Act, by the Shareholders other than Central Government from amongst themselves under this NOTICE, shall be subject to the outcome of Writ Petitions pending in respect of election of Shareholders Directors, which was scheduled to be held in EGM on 23.12.2014 vide Notice dated 03.11.2014 filed by viz: (i) Mr. Ashish Bhiwaniwala Vs. Bank of Baroda & Others [W.P. No.32456 (W) of 2014 pending before the Hon'ble Kolkata High Court] and (ii) Mrs. Shruti Bhargava & Others Vs. Bank of Baroda & Others (WP No.12893 of 2014) pending before the Hon'ble Allahabad High Court at Lucknow Bench.



व्याख्यात्मक विवरण :

बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चयन

अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अनुसार आपके बैंक ने केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से तीन निदेशकों यथा श्री मौलिन अरविंद वैष्णव, श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी और श्री राजीब शेखर साहू को चुना जिन्होंने 24 दिसंबर 2011 को पद भार संभाला और इनका कार्यकाल 23 दिसंबर 2014 को समाप्त हुआ.

उपर्युक्त रिक्तियों को भरने के लिए आपके बैंक ने दिनांक 3 नवंबर 2014 को 23 दिसंम्बर 2014 को ईजीएम के लिए एक नोटिस जारी किया था तथा उसकी प्रक्रिया की थी. हालांकि, आवश्यक कार्यवाई पूरी करने तथा उम्मीदवारों, जिन्होंने आपना नामांकन भरा था, की "उपयुक्त एवं समुचित स्थिति" सुनिश्चित करने के बाद इस चुनाव प्रक्रिया से दो रिक्तियां ही भरी जा सकी थी और एक रिक्ति खाली रह गई थी. इसके अलावा, एक निदेशक की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया 24 जून, 2015 को आयोजित की गई 19वीं वार्षिक सामान्य बैठक एकबार पुनः में की गई थी. नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित की गई अंतिम तारीख तक प्राप्त हुए पांच नामांकनों में से कोई भी प्रतियोगी निदेशक मंडल की नामांकन सिमित द्वारा उपयुक्त एवं समुचित नहीं पाया गया और तदनुसार बैठक में चुनाव संपन्न नही हो सका. इस प्रकार आज की तारीख तक एक रिक्ति अभी भी भरने हेतु खाली है तथा उसी के लिए यह प्रक्रिया की जा रही है.

अतः शेयरधारक (केंद्रीय सरकार को छोड़कर) विभिन्न तथा संबद्ध अधिनयम/योजना/विनियम, अधिसूचना केंद्र सरकार के/दिशानिदेशों के निम्नलिखित संक्षिप्त विवरणों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं. एक निदेशक का चुनाव या तो बैंक को शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत नामांकन की जांच और बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उन्हें उपयुक्त एवं समुचित स्थिति में पाए जाने के बाद अथवा तत्पश्चात् असाधारण सामान्य बैठक में चुनाव के बाद होगा. चुने गए निदेशक चुनाव की तारीख के बाद से अगली तारीख या असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से अगली तारीख (अर्थात् असाधारण सामान्य बैठक की तारीख 22 दिसम्बर, 2015 होने से अगली तारीख 23 दिसम्बर, 2015 होगी) से अपना पदभार संभालेंगे तथा पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक के लिए पद पर बने रहेंगे.

क. विधिक पावधान

इस विषय से संबंधित विभिन्न अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिए गए हैं : -

अधिनियम/योजना/	प्रावधान		संक्षिप्त विवरण
विनियम/ अधिसूचना			
बैंककारी विनियमन	धारा ५ (एन-ई)	>	महत्वपूर्ण लाभ
अधिनियम, १९४९	धारा १६ (१)	>	उभयनिष्ठ निदेशकों का निषेध
	धारा २०	>	बैंक के किसी भी निदेशक की
			ओर से ऋण या अग्रिम की
			स्वीकृति पर प्रतिबंध

EXPLANATORY STATEMENT

Election of One Shareholder Director of the Bank

In terms of section (9) (3) (i) of the Act, your Bank had elected three Directors viz. Shri Maulin Arvind Vaishnav, Shri Surendra Singh Bhandari and Shri Rajib Sekhar Sahoo, from amongst the Shareholders other than Central Government, who assumed charge on 24th December 2011 and their term ended on 23rd December 2014.

With a view to fill in the vacancies as aforesaid, your Bank issued Notice dated 03rd November 2014 for on EGM on 23rd December 2014 and initiated the process. However, after completing the due diligence and ascertaining "Fit and Proper Status" of the candidates, who filed their nominations as an outcome of the election process, TWO vacancies could be filled-in and there exists ONE vacancy. Further, the process of election to fill-in the vacancy of one Director was once again taken at the 19th Annual General Meeting held on 24th June 2015. Out of Five nominations received up to last date fixed for the receipt of nominations, the Nomination Committee of the Board did not determine any of the contestants as Fit and Proper and accordingly the election could not be taken up at the meeting. Thus as on the date, ONE vacancy still exists to be filled-in and this process is initiated for the same.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme /Regulations / Notification /Guidelines from the Central Government, the short particulars of which are given hereunder. One director will be elected either after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of his/her Fit & Proper Status by the Nomination Committee of the Board or subsequent election at the Extraordinary General Meeting. A Director so elected shall be deemed to have assumed office from the date next to the deemed date of election or the date next to the EGM (i.e. the EGM date being 22nd December 2015, it will be 23rd December 2015), as the case may be and will hold office for a period of three years from the date of such assumption.

A. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking	Section 5 (n-e)	➤ Substantial Interest
Regulation Act, 1949	Section 16 (1)	>> Prohibition of Common Directors
	Section 20	➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors



बैंककारी कंपनी	धारा ३ (२ई)	> वोट देने के अधिकार पर
(उपक्रमों का	GICI 0 (22)	प्रतिबंध
अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, १९७०	धारा 9 (3)(i)	शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा ९ (३ए) (ए) से (सी)	> कतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान
	धारा ९ (उएए) व धारा ९ (उएबी)	कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि उसे भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, सत्यिनिष्ठ के मानदंड पर या अन्य निर्धारित किसी मानदंड
	धारा ९ (३बी)	पर उपयुक्त नहीं पाया जाता.
धार		एसे चुने गए निदेशक को, जो उक्त अधिनियम की धारा ९ (३ए) व ९(३एएए) की जरूरतों को पूरा नहीं
	धारा 13(2)	करते हैं, उन्हें हटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार
		 निष्ठा एवं गोपनीयता बरतने संबंधी कर्तव्य
(प्रबंधन एवं विविध	खंड 9 (4)	> निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल
प्रावधान) योजना, 1970	खंड 10	बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताएं के बारे में
	खंड 11	> निदेशक कार्यालय को खाली करना
	खंड ११ए	> निर्वाचित निदेशक के पद से हटाया जाना
	खंड 11 बी खंड 12 (8)	➤ निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति भरा जाना
		 निदेशकों की रुचि वाले कुछ निश्चित क्षेत्रों का निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण

The Banking Companies	Section 3 (2E)	> Restriction on voting rights
(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 9(3)(i)	➤ No. of directors to be elected by the shareholders
	Section 9(3A) (A) to (C)	➤ Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA) & Section 9(3AB)	➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9(3B)	➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management	Clause 9(4)	> Term of office of elected directors
And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 10	➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
	Clause 11	> Vacation of office of Director
	Clause 11A	> Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	➤ D i s c I o s u r e of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं	विनियम 10	संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग
बैटक) विनियम, 1998 (2008 तक	विनियम ६१	> सामान्य बैठकों में वोट देना
संशोधित)	विनियम ६३	सामान्य बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक
	विनियम ६४	शेयरधारकों की सूची
	विनियम ६५	 चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियम ६६	नामांकनों की जांच
	विनियम ६७	
	विनियम ६८	> चुनाव विवाद
	विनियम ६९	> वोटिंग अधिकारों का निर्धारण
	विनियम ७०	विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियोंद्वारा वोट किया जाना
		≻ प्रॉक्सी
भा.रि.बैं. अधिसूचना		राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित
क्रमांक डीबीओडी सं. बीसी सं. ४६ एवं		निदेशकों के लिए समुचित एवं उपयुक्तता मानदंड
47/29.39.001/		उपयुराम्या नानपुड
	१९७० की धारा	
·		
एवं सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 95/	(उएबी) के अनु-	
29.39.001/		
2010-11 दिनांक		
23.05.2011		
दिनांक ३ सितम्बर		बैंककारी कंपनी (उपक्रमों
२०१३ के कार्यालय		का अर्जन एवं अंतरण)
ज्ञापन के साथ पठित		अधिनियम,१९७० की धारा ९ (३)
भारत सरकार		(ग) के अनुसार शेयरधारक
के पत्र सं. एफ.		निदेशक का चुनाव करते समय
ਜ.16/51/2012-		उम्मीदवारों की उपयुक्त एवं
बीओ.आई. दिनांक		समुचित स्थिति का निर्धारण करते
28 अप्रैल, 2015 के		समय बोर्ड की नामांकन समिति
साथ पठित कैबिनेट		द्वारा इन दिशानिर्देशों को भी ध्यान
की नियुक्ति समिति		में रखा जाएगा.
द्वारा अनुमोदित अंश- कालीक अशासकीय		
निदेशकों की नियुक्त के लिए दिनांक 25		
मार्च, २०१५ को भारत		
सरकार द्वारा जारी		
किए गए संशोधित		
दिशानिर्देश		

Bank of Baroda General (Shares	Regulation 10	➤ Exercise of rights of joint holders
and Meetings) Regulations, 1998	Regulation 61	➤ Voting at General Meetings
(Amended up to 2008)	Regulation 63	➤ Directors to be elected at General Meetings
	Regulation 64	> List of Shareholders
	Regulation 65	> Nomination of candidates for election
	Regulation 66	>> Scrutiny of nominations
	Regulation 67	➤ Election disputes
	Regulation 68	> Determination of voting rights
	Regulation 69	➤ Voting by duly a u t h o r i z e d representative
	Regulation 70	➤ Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007- 08 dated 01.11.2007 and No. DBOD. C.No.95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011	Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies	on the board of
Revised Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25th March 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 read with OM dated 3rd September 2013.		These guidelines be kept in mind by the Nomination Committee of the Board while carrying out determination of Fit and Proper Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (A c q u i s i t i o n and Transfer of Undertakings) Act, 1970.



भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशकों के संबधियों को ऋण एवं
का मास्टर परिपत्र	अग्रिम की स्वीकृति
दिनांक 1 जुलाई	
2015.	
सेबी (सूचीयन करार	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में
तथा प्रकटीकरण	प्रावधान
आवश्यकता)	
विनियमन, २०१५	

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनयम, विनियमन अधिनयम, योजना/ विनियम के संबद्ध अंशो के साथ ही साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी. बीसी.नं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007 तथा डीबीओडी. बीसी नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट <u>www.bankofbaroda.com</u> पर प्रदर्शित किए जाएंगे. ऐसे सारांश इच्छुक उम्मीदवारों को, उनके द्वारा नामांकन फॉ म्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अर्थात् ७ दिसम्बर, 2015 को अथवा उससे पहले कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, कार्पोरेट कार्यालय के पास अनुरोध प्राप्त होने पर ई- मेल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं.

ख. चुनाव में भागीदारी :

जैसा कि पहले ही दर्शाया गया है कि ऐसे शेयरधारक जिनके नाम विनिर्दिष्ट/ अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, 13 नवम्बर, 2015 को एनएसडीएल/ सीएसडीएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/लाभधारकों के रजिस्टर पर अंकित हैं, वे सभी (केंद्रीय सरकार को छोड़कर) निदेशकों के चुनाव के लिए उन्हें नामित करने, चुनाव लड़ने/वोट करने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.

तथापि केंद्रीय सरकार निदेशक के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है, परंतु पर्यवेक्षक एवं द्वित्तीय संवीक्षक के रूप में उपस्थित रहेगी.

ग. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएं

- (क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा.
 - (अ) यदि वह, किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हुआ हो या प्रशमन किया हो अथवा
 - (आ) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो. अथवा
 - (इ) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा नैतिक चरित्र हीनता के अपराध के कारण दण्डित किया गया हो, अथवा
 - (ई) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित, भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/करती है, सिवाय इसके कि वह बैंक में अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता है/करती है. (इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल है.

_		
	RBI Master Circular dated 1st July 2015	Granting loans and advances to relatives of Directors
ŀ	SEBI (Listing	Provisions relating to
	`	
	Obligations and	Independent Directors
	Disclosures	
	Requirements)	
	Regulations, 2015	

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website.www.bankofbaroda.co.in. which can be viewed/ downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Baroda at their Corporate Office at "companysecretary.bcc@bankofbaroda.com" on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 07th December 2015.

B. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified/Cut-Off Date** i. e., on Friday, 13th November 2015 shall be entitled to participate i.e. **nominate, contest and vote** in election of director from amongst Shareholders other than the Central Government.

However, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but will attend the EGM as an Observer and act as second scrutinizer.

C. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
 - if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under subsection (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.



घ. अवधि

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की खंड 9(4) के अनुसार निर्वाचित निर्देशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा और पुनःचुनाव के लिए पात्र होगा.

बशर्ते वह निदेशक अपने पद पर लगातार छः वर्ष से अधिक की अवधि से न रह रहा हो.

ड. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यता

- अधिनयम की धारा 9 (3ए) के अनुसार बैंक के किसी शेयरधारक और धारा 9 (3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक प्रत्याशी को :
 - क. निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :
 - i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - ii. बैंकिंग
 - iii. सहकारिता
 - iv. अर्थशास्त्र
 - v. वित्त
 - vi. विधि
 - vii. लघु उद्योग
 - viii. किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो.
 - ख. जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा
 - ग. किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो.
- 2. अधिनियम की धारा 9 (उएए) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है तथा बैंक का निदेशक बनना चाहता है. उसे "उपयुक्त एवं समूचित" हैसियत वाला होना चाहिए.

अधिनयम की धारा 9 (उएबी) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी उपधारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया है, "उपयुक्त एवं समुचित" स्थिति का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी, उस निर्धारण की प्रणाली, उस निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे अन्य मामले जो उससे प्रासंगिक हों या आवश्यक समझे जाएं.

इसके अलावा निर्वाचित निदेशक द्वारा प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए.

क. भारतीय रिज़र्व बैंक की "उपयुक्त एवं समुचित"(फिट एंड प्रॉपर) मानदंड संबंधी दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम १९७०/१९८० की धारा ९ की उप-धारा(उएए) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना बीसी क. ४६ तथा ४७/२९.३९.००१/

D. TENURE

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for reelection.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

E. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall
 - a have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:
 - i. agriculture and rural economy
 - ii. banking
 - iii. co-operation
 - iv. economics
 - v. finance
 - vi. law
 - vii. small scale industry
 - viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.
 - b. represents the interest of depositors; or
 - represents the interest of farmers, workers and artisans
- In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under subsection 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

A. RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of Baroda (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings)



2007-08 दिनांक १ नवंबर, 2007 जारी की है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले उपयुक्त एवं समुचित मानदंडों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है.

अधिसूचना की मुख्य-मुख्य बातें

"उपयुक्त एवं समुचित" स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/ प्रक्रिया, मानदंड निम्नानुसार हैं:

क) प्राधिकार :

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक "नामांकन सिमित" का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल से (सभी स्वतंत्र एवं गैर-कार्यपालक निदेशक) न्यूनतम तीन निदेशक शामिल हों. निदेशक मंडल द्वारा उनमें से एक निदेशक को सिमित का "अध्यक्ष" नामित करना चाहिए. कोरम में अध्यक्ष को मिलाकार तीन सदस्य होने जरूरी हैं. यदि नामित व्यक्तियों में से कोई अनुपस्थित रहता है तो निदेशक मंडल उसके स्थान पर किसी अन्य स्वंतत्र निदेशक को आणामी बैठक के लिए नामित कर सकता हैं. नामांकन सिमिति का गठन करते समय बोर्ड इसकी अवधि का भी निर्धारण कर सकता हैं.

ख) पद्धति एवं प्रक्रिया :

नामांकन समिति को उक्त अधिनियम धारा ९ (३)(i) के तहत मौजूदा चुने हुए -ि नदेशकों/निदेशक के रूप में चुने गए व्यक्तियों की 'उचित एवं समुचित' हैसियत का निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए. इस प्रयोजन के लिए बैंकों को संलग्न फार्मेट में (अनुबंध -1 में) मौजूदा चुने गए निदेशकों/निर्वाचन के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए व्यक्ति से आवश्यक सूचना एवं घोषणा प्राप्त कर लेनी चाहिए. नामांकन सिमिति को चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नामांकन दाखिल करने की आंतिम तारीख से पहले बैठक करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि निम्नांकित मानदंडों के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए या नहीं. सिमिति के विचार विमर्श को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए और यदि मौजूदा तथा नए निदेशकों के संबंध में वोटिंग हुई हो तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए. हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर नामांकन सिमिति को प्रत्याशी की स्वीकृति या अन्यथा रूप में निर्णय करना चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

ग. मानदंड :

नामांकन समिति को चुने हुए मौजूदा निदेशकों/प्रस्तावित प्रत्याशी की 'उपयुक्त एवं समुचित' स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए: -

- (i) शैक्षणिक योग्यता
- (न) अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र
- (न) ट्रैक रिकार्ड तथा निष्ठा(उपरोक्त सूची उदाहरण स्वरूप है, व्यापक नहीं)

Act 1970/1980 has issued notification DBOD BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01,2007 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as director on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition &Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

Salient Features of the Notification

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under:

a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "nomination committee" consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

b) Manner and procedure:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act ibid. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/ persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

c) Criteria

The nomination committee should determine the 'fit and proper' status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- (i) Educational qualification
- (ii) Experience and field of expertise
- (iii) Track record and integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive.)



नामांकन समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या उपरोक्त मानदंडों में से किसी के अनुपालन से चुने हुए मौजूदा निदेशकों /प्रस्तावित प्रत्याशी को बैंक के निदेशक के रूप में अपने कार्य दायित्व का निर्वाह करने में रुकावट होगी. इसी क्रम में किसी प्राधिकारी/विनियामक निकाय को कुछ प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने या किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण की अदायगी में चूककर्ता या दिवालिया होने पर संबंधित उम्मीदवार को बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुचित माना जाएगा.

घ. अन्य मामले :

यह वांछनीय है कि जनहित में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुने हुए निदेशकों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाए. (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक डीबीडीओ. क्र. बी-सी 116/08.139.001/2001- 02 दिनांक 20 जून, 2002 के अनुसार डॉ. गांगुली समूह द्वारा सिफारिश द्वारा की गई है.)

यह भी बाध्यकारी है कि सभी निर्वाचित निदेशकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह साधारण घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए कि जो सूचना उन्होंने पहले प्रस्तुत की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जहां कहीं भी कोई परिवर्तन हुआ है, वहां निदेशकों द्वारा आवश्यक विवरण तुरंत प्रस्तुत कर दिए गए हैं. यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो सिमति को समुचित सावधानी बरतनी चाहिए तथा निदेशक की 'उपयुक्त एवं समुचित' हैसियत का पुनरीक्षण करना चाहिए.

ख. भारत सरकार के दिनांक 25 मार्च, 2015 के दिशानिर्देश

इसके अलावा भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 सितंबर 2013 प्राप्त सूचना के अनुसार, बोर्ड की नामांकन सिमित शेयरधारक निदेशक की "उपयुक्त एवं समुचित" स्थिति का निर्धारण करते समय अशासकीय निदेशकों (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्दशों को भी ध्यान में रखेणी. भारत सरकार ने 25 मार्च, 2015 को दिशानिर्दशों में संशोधन किया है तथा अपने पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2015 द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भेजा है जिसका सारांश निम्नलिखित है:

क) सामान्य

- 1. नामांकन संबद्ध अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.
- 2. नामिति की उपयुक्तता सामान्य शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, द्रैक रिकार्ड, निष्ठा आदि की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए. सत्यिनिष्ठा तथा उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपराधिक रिकार्ड, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक कर्जों के लिए की गई दीवानी कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश की अनुमति न देना या वहां से निकाल देना, विनियामकों तथा ऐसे ही निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तथा पिछली संदेहात्मक व्यवसाय व्यवहारों आदि को आधार बनाया जाना चाहिए.

ख) अनुभव

 सामान्यतः कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कार्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग एवं आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा. उद्योग में वरिष्ठ पद पर 20 वर्ष के अनुभव, संबंधित क्षेत्र में The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank

d) Other matters

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr. Ganguly Group vide RBI circular DBOD.No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20thJune 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

B. GOI GUIDELINES DATED 25th MARCH 2015

Further as advised by GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper Status" of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015, the gist of which is as under:

a) General

- Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
- 2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

b) Experience

 Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, industry and IT will ordinarily



प्रतिष्ठित विशेषज्ञता (प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हो, किसी घाटे में चल रहे संगठन को उबारकर मुनाफे में लाया हो) को वरीयता दी जाएगी.

- 2. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, जिनका कुल अनुभव 20 वर्ष का हो और संयुक्त सिवव या उससे ऊपर के स्तर पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो. सार्वजिनक क्षेत्र बैंकों के सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद. पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/ कार्यपालक निदेशकों की उस सार्वजिनक क्षेत्र बैंक के बोर्ड में, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं, अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा. सार्वजिनक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक, जो अभी सेवा में हैं, को किसी अन्य सार्वजिनक क्षेत्र बैंक के बोर्ड में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.
- प्रमुख बैंकिंग प्रबंधन संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और प्रोफेसर जिन्हें 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो.
- 4. 20 वर्ष का अनुभव (ऑडिट अनुभव के अलावा) रखने वाले सनदी लेखाकारों को भी वरीयता दी जाएगी.
- हालांकि मामले की मेरिट के आधार पर विशिष्ट मामलों में वित्तमंत्री के अनुमोदन से अनुभव संबंधी मानदंडों में छूट दी जा सकती है.
- जहां तक संभव होगा, महिलाओं तथा अजा/अजजा के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है.

ग) शिक्षा

अशासकीय निदेशक को (एनओडी) किसी भी वर्ग में कम से कम स्नातक होना चाहिए, बिजनेस प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता वालों को वरीयता दी जाएगी.

घ) आयु

निदेशक की आयु, सर्च समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

ड.) कार्य अनुभव

पेशेवर व्यक्तियों/शिक्षाविदों को विशिष्ट क्षेत्र में सामान्यतः २० वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

च) अयोग्यता

- i. यिद कोई निदेशक पहले से ही किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी बैंक/ वित्तीय संस्था (एफआई)/ भा.रि.बै/ बीमा कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत हो, तो उसे किसी अन्य बैंक /वित्तीय संस्था/भा.रि.बैं/ बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन पर विचार न किया जाए.
- ii. किराया खरीद, वित्त पोषण, निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति एम पी, एमएलए, एमएलसी तथा स्टॉक ब्रोकर को बैंकों /वित्तीय संस्थाओं/ भा.रि.बैं/ बीमा कंपनियों के निदेशक मंडल में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा. किराया खरीद, वित्त पोषण, निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए निवेशकों को अशासकीय निदेशक की नियुक्ति से अयोग्य नहीं ठरुराया जा सकता, यदि वह इन कंपनियों में प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखता हो.

be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.

- 2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
- 3. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
- 4. Chartered Accountants with 20 years experience (excluding audit experience) would also be preferred.
- However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
- As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

c) Education

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

d) Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

e) Work Experience

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

f) Disqualifications

- A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.
- ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/Fls/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.



3. किसी भी व्यक्ति को, जो पहले बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार किसी भी श्रेणी में दो कार्यकाल या -6-वर्ष, जो भी अधिक हो, निदेशक रूप में सेवा कर चुका है, एनओडी के रूप में पुनः नामांकित नहीं किया जा सकता.

छ) अवधि

किसी भी एनओडी को बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है, यदि वह निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार -6- वर्षों तक लगातार या अलग-अलग समय पर एनओडी/शेयर धारक निदेशक रहा है.

ज) व्यावसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10(डी) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में लाभ के ऑफिस के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिबंध के मामले का अलग से परीक्षण किया जाएगा.

झ) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के बोर्ड में देश के सभी छः जोन- उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य तथा उत्तर-पूर्व से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाने चाहिए.

दिशानिर्देशों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की वेबसाइट http://financialservices.gov.in/nod/ पर भी देखा जा सकता है और यह बैंक की वेबसाइट" www.bankofbaroda.co.in" पर भी होम पेज पर निवेशक संबंध लिंक में उपलब्ध हैं.

च. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक (एएमएल), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 8वां तल, सूरज प्लाजा - I, सयाजीगंज, वडोदरा-390 005 के पास सभी कार्य दिवसों (बैंक अवकाश, रविवार तथा दूसरे तथा चौथे शनिवार के अलावा) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार तथा पहले और तीसरे शनिवार को शाम 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ताकि प्रत्याशी शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भाग से वांछित सूचना प्राप्त कर सकें.

यदि कोई शेयरधारक उपर्युक्त की प्रति या चयनित/अंश की कंम्प्यूटर द्वारा मुद्रित प्रति चाहता है तो उसे संबद्ध अंश के प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके भाग हेतु 5 रुपये की दर से राशि के भ्रुगतान करने पर प्रदान किया जाएगा.

छ. शेयरधारकों की सूची

जैसा कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 64 में वर्णित और संशोधित किया गया है, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रानिक रूप में अर्थात् सीडी या इस तरह के अन्य माध्यम में) बैंक के वडोदरा स्थित प्रधान कार्यालय में, 26 नवम्बर, 2015 से उपलब्ध होगी और वह बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पक्ष में वडोदरा में देय किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी रू. 50,000/- (केवल पचास हजार रूपए) के मांग ड्रॉफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा खरीद हेतु उपलब्ध होगी. इच्छुक अभ्यर्थी को उपर्युक्त

iii. No person may be re- nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

g) Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

h) Professional Restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

i) Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

The guidelines can also be viewed on the website of GOI, MOF, at http://financialservices.gov.in/nod/ and also available at Bank's website i.e. "www.bankofbaroda.co.in" at Investor Relations link on home page.

F. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the Assistant General Manager (AML), Bank of Baroda, 8th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara 390 005 on all working days (other than second & forth Saturdays, Sundays and Bank Holidays) i.e, Monday to Friday and first and third Saturdays between 3.00 p.m to 5.00 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

G. LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD or such other media) will be available at the Head Office, Vadodara of the Bank from 26th November 2015 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs. 50,000/-(Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order of Scheduled Bank in favor of "Bank of Baroda" payable at Vadodara. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter



सूची खरीदने के लिए एक अनुरोध पत्र महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, छठा तल, सूरज प्लाजा - । सयाजीगंज, वडोदरा- 390 005 को प्रस्तुत करना होगा तथा यह वचन पत्र देना होगा कि उक्त सूची का उपयोग चुनाव में प्रचार के लिए किया जाएगा तथा उसका कोई और उपयोग नहीं किया जाएगा.

ज. निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन

निदेशक के रूप में चुनाव के लिए अभ्यर्थी का नामांकन निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकार्य होगाः

- क) विनियमों के विनियम 65 की शर्तों के अनुसार वह विनिर्दिष्ट/अंतिम तारीस्र शुक्रवार, 13 नवम्बर, 2015 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक हो और बैठक की तिथि तक और उसके बाद यि चुन लिया जाता है तो उसके बाद भी उसे न्यूनतम 100 शेयरों का शेयरधारक होना चाहिए.
- ख) उक्त अधिनयम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और वह कम से कम एक सौ पात्र शेयरधारकों अथवा यथाविधि उनके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्तें, कि नामांकन यदि किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया गया हो, जो एक कंपनी है और उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प पारित किया गया हो, तो संकल्प पारित करने वाली बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, जिसे सत्यप्रति के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, छ्ठा तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, वडोदरा- 390 005 को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा.
- ग) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किए गए वैध नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश, मिनस्ट्रेट, रिनस्ट्रार अथवा सब रिनस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेंस अथवा किसी अन्य राजपित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नोटिस में दिए गए नामांकन एवं घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और निर्वाचन में खड़े होने के लिए इच्छुक है और यह कि वह अधिनयम अथवा विनियम अधिनियम अथवा उक्त योजना अथवा विनियमों या भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के तहत निर्देशक के लिए अयोग्य नही है और साथ ही वह अपने व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) को उपयुक्त रूप में हस्ताक्षरित करते हुए और यह प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा करेगा कि यह विवरण उसके अधिकतम ज्ञान व जानकारी में सत्य व उपयुक्त है और साथ ही यह भी शपथ पत्र देगा कि वह बाद में भी ऐसे मामलों में जो सूचना, तदनुरूप घोषणा की दृष्टि से प्रासंगिक है, उससे बैंक को पूरी तरह अवगत कराएगा.
- घ) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख अर्थात सोमवार, 7 दिसम्बर 2015 तक बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 या बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 (जैसा कि अब 'विनियम' के रूप में संदर्भित होगा) के तहत अयोग्य न हो और उसके बाद वह सार्वजिनक क्षेत्र बैंकों में अशासकीय निदेशकों की नियुक्त के संबंध में 25 मार्च, 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों अथवा निदेशक के चुनाव के संबंध में समय-समय पर जारी ऐसे अन्य निर्देशों के साथ पठित, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46/29.39.001/2007-08

addressed to "General Manager" (Operations & Services), Bank of Baroda, 6th Floor Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara 390 005 with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

H. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- a) In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday 13th November 2015 being the **Specified/Cut-Off Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b) The valid nomination in writing signed by at least one hundred Shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager (Operations & Services), Bank of Baroda, 6th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara 390 005 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- d) As on Monday, 7th December 2015, being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations")and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Nomination Committee of the Board in terms of the Notification No.DBOD No.BCNO.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 of



दिनांक १ नवंबर, २००७, के अनुसार बोर्ड की नांमाकन समिति द्वारा उपयुक्त एवं समुचित पाया गया हो.

नामांकन पत्र और घोषणा पत्र विनियमों के द्वारा निर्धारित हैं और नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में दिए गए है. (संपूर्ण नोटिस, जिसमें यह प्रोफार्मा भी शामिल है, बैंक की वेबसाइटwww.bankofbaroda.co.in पर भी उपलब्ध है.

झ. नामांकन फार्म की प्रस्तुति :

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को (केंद्र सरकार को छोड़कर) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में विधिवत भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, छठा तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, बड़ौदा-390005 को असाधारण सामान्य बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 कार्य दिवस पूर्व अर्थात सोमवार, 7 दिसम्बर, 2015 को सायं 5:00 बजे तक या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देने चाहिए.

- क) विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र
- ख) निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम १०० शेयरधारकों से वैध नामांकन
- ग) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र त-था वचन पत्र, <u>जिसके साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाणपत्र अर्थात स्व</u> हस्ताक्षरित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, अनुभव आदि संलग्न हो.
- घ) उपर्युक्त नामांकन फार्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है.

ञ. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव

- क) नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तारीख मंगलवार, 8 दिसम्बर, 2015 के बाद के प्रथम कार्य दिवस को बैंक द्वारा नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा.
- ख) नामांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा १ नवंबर, २००७ को जारी "उपयुक्त एवं समुचित" दिशानिर्देशों के तहत कार्यालयीन बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा जांच के अध्यधीन होगा. भारतीय रिजर्व बैंक के उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप उम्मीदवार की उपयुक्त व समुचित स्थित का निर्धारण करते समय, नामां-कन समिति सार्वजिनक क्षेत्र बैंकों में अशासकीय निदेशकों के नामांकन के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 25 मार्च, २०१५ को जारी किए गए दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखेगी.
- ग) नामांकन समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद, यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति हेतु केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम तथा पता निर्वाचित निर्देशक के रूप में प्रकाशित होगा. ऐसी किसी स्थिति में अथवा किसी भी नामांकन के वैध नहीं पाये जाने पर असाधारण सामान्य बैठक आयोजित नहीं की जाएगी. नव निर्वाचित निर्देशक उसके चुनाव की तारीख

Reserve Bank of India read with Guidelines dated 25th March 2015 issued by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time from being elected as a Director.

The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the proforma annexed to this notice (The proforma is also available on the Bank's website: www.bankofbaroda.co.in)

I. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a sealed envelope to the General Manager (Operations & Services), Bank of Baroda, 6th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e., on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m., on Monday, 7th December 2015:

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Valid Nomination Forms minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election:
- Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, <u>viz. self attested copies of</u> <u>Bio-data, Certificate of Educational Qualifications,</u> <u>Experience relevant to the Bank, etc.</u>
- d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

J. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- a) Nominations shall be scrutinized on Tuesday, 8th December 2015, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated November 01, 2007 issued by the Reserve Bank of India. While determination of the Fit & Proper Status of Candidates in terms of the aforesaid RBI guidelines, the Nomination Committee may also keep in mind for consideration, the Criteria laid down by the Central Government as applicable for non official director in Public Sector Banks as issued by Government of India dated 25th March 2015.
- c) After the scrutiny by the Nomination Committee, if there is only one valid nomination for one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event or in case



(जिस दिन उसका चुनाव समझा गया है) से अगले दिन ही पदभार ग्रहण करेंगे तथा 3 वर्ष की अवधि पूरी होने तक पद पर बने रहेंगे.

घ) यदि वैध नामांकन की संख्या एक से अधिक हो तो चुनाव होने की दशा में प्रत्याशियों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव में सर्वाधिक ई-वोटिंग तथा मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी निर्वाचित होंगे और उनके नाम बैठक में घोषित किए जाएंगे तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएंगे. चुना गया निदेशक २३ दिसम्बर, २०१५ अर्थात असाधारण सामान्य बैठक से अगले दिन ही पदभार ग्रहण करेंगे तथा पदभार ग्रहण करने की तारीख़ से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे.

ट. उम्मीदवारी वापिस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस लेना चाहता है, तो वह गुरुवार दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को बैंक के कामकाज के घंटों की समाप्ति से पहले, अर्थात शाम 5.00 बजे से पूर्व किसी भी समय, महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं) बैंक ऑफ़ बड़ौदा, ६ठा तल, सूरज प्लाजा-१, सयाजीगंज, वडोदरा- ३९० ००५ को संबोधित पत्र भेज कर या ०२६५ - २३६२९१४ पर फैक्स भेजकर अथवा gm.ops.ho@bankofbaroda.com या agm.aml.ho@bankofbaroda.com पर स्कैन तथा हस्ताक्षरित पत्र की ई-मेल भेजकर अपना नामांकन वापिस ले सकता है.

ठ. विवाद

यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा, तो बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, १९९८, यथा संशोधित के विनिमय ६७ के अनुसार उसे निपटाया जाएगा.

ड. उद्धरण

लागू अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संबद्ध हिस्सों के उद्धरण शेयरधारकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट www. bankofbaroda.co.in पर डाल दिया गया है. जो शेयरधारक चुनाव लड़ना चाहते हैं वे इसे डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति मंगवाने के लिए बैंक के कंपनी सचिव "companysecretary.bcc@bankofbaroda.com"को लिख सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं.

द. निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने नामांकन दर्ज किए हैं, कारोबार की उक्त मदों से उन्हें सरोकार है या उसमें उनका हित है ऐसा समझा जाएगा.

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

म. एस ग्रं ग्रंचुनार

(पी. एस. जयकुमार) स्थान : मुंबई प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिनांक : ६ नवम्बर, २०१५

no nomination is found valid, the Extraordinary General Meeting will not be conducted. The newly elected director will assume office on the next day of his/her deemed date of election and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.

If there are more than one valid nomination, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate polling the majority of the votes i.e. aggregate of remote E-voting and Voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and also published in newspapers. The elected Director shall assume office w.e.f. 23rd December 2015 i.e. the day next to the date of EGM and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.

K. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. on or before 5.00 p.m. on Thursday, 17th December 2015 by sending a letter addressed to General Manager (Operations & Services), Bank of Baroda, 6th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara - 390 005 or sending fax at 0265-2362914 or scanned and signed letter over e-mail at gm.ops.ho@bankofbaroda.com OR alternately on "agm.aml.ho@bankofbaroda.com".

DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended.

M. EXTRACTS

Place: Mumbai

Date: 6th November, 2015

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ GOI Guidelines are posted on Bank's website: www.bankofbaroda.co.in for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may download the same or write to the Company Secretary of the Bank at "companysecretary.bcc@bankofbaroda.com" and obtain the same.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business

> By Order of Board of Directors FOR, BANK OF BARODA

Managing Director & CEO



बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय — मांडवी, बड़ौदा 390 006

|--|

नामांकन फार्म

प्रति,	
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
बैंक ऑफ़ बड़ौदा प्रधान कार्यालय,	
वडोदरा.	
प्रिय महोदय	
	निदेशक का चुनाव
आपके दिनांक ६ नवम्बर, २०१५ के नोटिस के संदर्भ में, मैं श्री/सश्री	
	ns (अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/कट ऑफ तारीख को) प्रत्येक रु. २/- के
	/सुश्री सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी को मंगलवार,
दिनांक २२ दिसम्बर, २०१५ को होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की असा	धारण सामान्य बैठक में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, धारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु
नाम	
हस्ताक्षर	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक रूप में न हो)	
डी.पी. आई.डी. नं. एवं ग्राहक आई.डी. नं. (यदि अभौतिक रूप में हो.)	
स्थान	
तारीख	

टिप्पणी :

- क) यदि नामांकन किसी कार्पोरेट निकाय शेयरधारक द्वारा किया गया हो, तो नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए और उस पर, जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए.
- ख) प्रत्याशी का नामांकन करने वाली शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए.
- ग) यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है.



Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda - 390 006

Sr. No.

NOMINATION FORM

To
Managing Director & CEO,
Bank of Baroda
Head Office,
Vadodara.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your Notice dated 6th November 2015, I,					
a Shareholder of Bank of Baroda holding equity shares of Rs. 2/- each fully paid up as on Friday, 13th November					
2015 i.e., the Specified/Cut-off Date for participating in t	he Election, do hereby nominate Shri / Smt				
son / daughter / wife of	residing at				
	for being elected as a Director of Bank of Baroda representing the				
Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) or	f the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,				
1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareh	olders of the Bank to be held on Tuesday, 22 nd December 2015.				
Г.,					
Name					
Signature					
Oignature					
No. of Shares Held					
Regd. Folio No.					
(if not dematerialized)					
DP ID No. & Client ID No.					
(If dematerialized)					
Place					
Date					

Notes:

- a) In case nomination is made by a Shareholder who is a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- b) Signature of the Shareholder nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- c) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय — मांडवी, बड़ौदा 390 006

घोषणा पत्र

मैं, १	भी/श्रीमती
	, निवासी
	एतदद्वारा पुष्टि करता /करती हूं कि :-
क.	मैं शुक्रवार १३ नवम्बर, २०१५ अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट तारीख को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के २/- रुपये प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयरों का शेयरधारक हूं और घोषणा करता हूं कि यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुन लिया जाता हूं, तो उसकी अवधि की समाप्ति तक शेयरधारिता रहेगी.
ख.	मुझे* (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग अथवा का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक
	के लिए उपयोगी होगा और मैं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं अथवा किसानों, कामगारों और दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं/करती हूं और उसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता हूं/करती हूं और (जो लागू न हो उसे काट दें)
ग.	मैं नामाकंन क्रमांकस्वीकार करता हूं/करती हूं और
ਬ.	में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निर्देशक के निर्वाचन में प्रत्याशी बनना चाहता/चाहती हूं और
ਵ਼.	मैं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अधीन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित अधिसूचना तथा भारत सरकार द्वारा सार्वजिनक क्षेत्र बैंकों के अशासकीय निदेशकों के संबंध में जारी मानदंडों के तहत बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूं.
च.	मैं न कोई लाभ का पद धारण करता हूं/ करती हूं अथवा न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूं.
छ.	मुझे कभी भी दिवालिया करार नहीं किया गया है और मैनें कभी भी अपने लेनदारों का भुगतान नहीं रोका या प्रशमन नहीं किया है
ज.	मुझे कभी भी विक्षिप्त नहीं पाया गया है और न ही कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हैं और न ही कभी नैतिक भ्रष्टता के किसी जुर्म में किसी अपराधिक न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया है.
彯.	मैं किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी बीमा कंपनी में निदेशक नहीं हूं तथा
ਤ.	मैं किसी किराया खरीद, वित्तीय निवेश, लिजिंग तथा अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं हूं और मैं कोई सांसद/ विधायक/ एमएलसीए/ स्टॉक ब्रोकर भी नहीं हूं.
ਟ.	मैं पहले भी किसी बैंक या वित्तीय संस्था या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार या रूकरूक कर दो कार्यकाल या - 6 - वर्षों के लिए जो भी अधिक है, निदेशक नहीं रहा हूं.



Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

DECLARATION

Ι, .	son/daughter/wife of Shri/Smt
	resident of
	hereby confirm that :
a.	I am a Shareholder holding equity shares of Rs.2/- each of the Bank as on FRIDAY, 13 th November 2015, i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
b.	*I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) cooperation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, or
C.	I accept the nominations numberingand
d.	I am willing to contest for the election of Director of BANK OF BARODA and
e.	I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of Baroda General (Shares & Meetings) Regulations, 1998 as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and
f.	I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under subsection (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.
g.	I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors.
h.	I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude.
i.	I am not a Director in any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company under any category; and
j.	I am not connected with any hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP / MLA / MLC / Stock broker
k.	I have not been a Director on the Board of any Bank, or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under

any category for two terms or six years, whichever is longer and whether continuously or intermittently.



- ट. मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट, या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है तथा
- ह. मैं बैंक को उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी सभी घटनाओं, जो मेरी नियुक्ति के पश्चात होती हैं, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने एवं बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के पश्चात प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का वचन देता हूं.
- ढ. मैं, सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) के संबंधित प्रावधानों का बैंक में निदेशक बने रहने तक पालन करुंगा.
- ण. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा हूं जो कि मेरी अधिकतम जानकारी में और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक न हो)	
डी.पी. आई.डी. नं. एवं ग्राहक आई.डी. नं. (यदि अभौतिक हो)	
स्थान	
तारीख	

			20	-04	~:				
उपयुक्त	घाषणा	पत्र पर	मरा	उपस्थिति	म	हस्ताक्षर	ाकया	गया ह	
O									

हस्ताक्षर

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्योरेंसस के उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपन्नित/अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंक ऑफ़ बड़ौदा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर.

* जो लागू हो उसे काट दें.



- I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and
- m. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
- n. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing obligatins and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 till I hold the position as a Director of the Bank.
- o. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No.	
(if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No.	
(if dematerialized)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of Baroda or any Nationalized Bank.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय — मांडवी, बड़ौदा 390 006

व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचनपत्र

पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ बड़ौदा

दिनांक	5	_2015 को अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ प्रत्याशी की	घोषणा एवं वचनपत्र
ω		प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण	
	क	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	
		पिता का पूरा नाम	
	ख	जन्म तारीख	
	ग	शैक्षणिक योग्यताएं	
		(शैक्षणिक/अकादमिक) (कृपया सूचना की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें).	
		(शैक्षणिक/व्यावसायिक) (कृपया सूचना की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें).	
	घ	संबंधित पृष्ठभूमि एवं अनुभव(बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनयम १९७० की धारा ९ (३-ए) में यथोपेक्षित) (कृपया बैंक के निदेशक पद से संबद्ध अपने अनुभव का उल्लेख करें)	
	ਫ.	स्थायी पता	



Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

Personal Information, Declaration and Undertaking

Affix passport size photo here

Name of the Bank: Bank of Baroda

	Personal details of Candidate	
A	Full Name (in block capital letters)	
	Father's Name (in Full)	
В	Date of Birth	
С	Educational Qualifications	
	(Educational/ academic)	
	(Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	(Educational/ professional)	
	(Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
D	Relevant Background and Experience	
	(As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertakings) Act, 1970.	
	(Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).	
E	Permanent Address	



	च	वर्तमान पता	
		activity and	
	छ	ई-मेल पता	
		टेलीफोन नं. (लैंडलाइन)	
		टेलीफोन नं. (मोबाइल)	
	ज	आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या	
		(एक प्रति संलग्न करें)	
		आयकर सर्कल/प्रखंड का नाम और पता, जहां निजी कर विवरण	
		दायर किये जाते हैं.	
	झ	संबद्ध ज्ञान तथा अनुभव, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण	
		एवं अंतरण)अधिनियम, १९७०/१९८० की धारा ९ (३-ए) का संदर्भ ग्रहण करें.	
		ग्रहण कर.	
	31	बैंक के निदेशक मंडल से संबंधित कोई अन्य सूचना	
П		प्रत्याशी की रिश्तेदारी	
	क	बैंक से जुड़े संबंधियों की सूची, यदि कोई हो (कंपनी अधिनियम	
		२०१३ की धारा २(७७), जिसे कंपनी (परिभाषा विवरण की	
		विशिष्टता अधिनियम २०१४) (धारा ६ एवं कंपनी अधिनियम १९५६	
		की अनुसूची १ए) नियम २०१४ के नियम ४ के साथ पढा जाए, को	
		देखें)	
	ख	प्रतिष्ठानों की सूची, यदि कोई हो, जिनमें 'उसका हित निहित रहा हो (कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा २(४९) एवं धारा (१८४) को	
		देखें) (कंपनी अधिनियम, १९५६ की धारा २९९) (३) (ए) और धारा	
		(300)	
	ग	प्रतिष्ठानों की सूची, जिनमें उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम,	
		१९४९ की धारा ५ (एनई) के तहत पर्याप्त हित रखने वाले के रूप में	
		माना गया हो. प्रस्तावित और वर्तमान.	



	F	Present Address	
	G	E-mail Address	
	G		
		Telephone Number (Landline)	
	Н	Telephone Number (Mobile)	
	П	Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy)	
		Name and Address of the Income Tax Circle/ Division where personal tax returns are being filed.	
		Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970	
	J	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II		Relevant Relationships of Candidate	
	A	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Sch 1A of Companies Act 1956]	
	В	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2 (49) and Section 184 of the Companies Act, 2013) [Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956]	
	С	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	



	घ	बैंक का नाम, जिसमें वे बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य हैं अथवा	
		रहे हैं (पदावधि का विवरण दें)	
	ਵ.	निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाएं, यदि कोई हो, जिनका	
		उसने और/अथवा उपरोक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध इकाइयों	
		ने वर्तमान में बैंक से उपयोग किया हो.	
	ם	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां प्रत्याशी अथवा उपरोक्त II(ख) और	
		(ग) में उल्लिखित इकाइयों ने बैंक अथवा किसी अन्य बैंक से ऋण	
		सुविधाओं को चुकाने में चूक की हो अथवा पूर्व में चूक की गई हो.	
Ш		व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड	
	क	संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV		प्रत्याशी के विरूद्ध कार्रवाइयां, यदि कोई हो	
	क	यदि प्रत्याशी किसी व्यावसायिक संस्था /निकाय का सदस्य है	
		तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण यदि कोई	
		विचाराधीन हो अथवा शुरू की गई हो अथवा उसके विरूद्ध पहले	
		दोषसिद्धि के फलस्वरूप हो अथवा क्या वह किसी समय किसी	
		व्यवसाय/धंधे को शुरू करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.	
	ख	पूर्व में प्रत्याशी और /अथवा उपरोक्त II(ख) और (ग) में सूचीबद्ध	
		किसी इकाई के विरुद्ध आर्थिक कानून और विनियमों का उल्लंघन	
		करने के लिए दोषसिद्धि के फलस्वरूप लंबित अथवा शुरू किए गए	
		अभियोजनों का विवरण, यदि कोई हो.	
	ग	प्रत्याशी के विरुद्ध पूर्व में लंबित अथवा शुरू किए गए अथवा दोषसिद्धि	
		के फलस्वरूप आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
	घ	क्या प्रत्याशी को कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १६४ कंपनी	
		अधिनियम, १९५६ की धारा २७४. के अंतर्गत किसी भी प्रकार की	
		अयोग्यताओं के कारण अयोग्य ठहराया गया है	
	ਤ .	क्या प्रत्याशी अथवा II (ख) और (ग) में उल्लिखित किसी इकाई	
		को सरकारी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा किसी अंवेषण के अध्यधीन	
		रखा गया है ?	
	च	क्या प्रत्याशी को कभी कस्टम/एक्साइज/आयकर/विदेशी विनिमय/	
		राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के	
		उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है ? यदि ऐसा है तो विवरण दें.	
	छ	क्या प्रत्याशी कभी सेबी, आईआरडीए, डीसीए, भारतीय रिजर्व बैंक,	
		एमसीए जैसे विनियामकों के समक्ष प्रतिकूल नोटिस में आया है?	
		(हालांकि प्रत्याशी द्वारा विनियामकों के ऐसे आदेशों तथा निष्कर्षों के	
		बारे में कॉलम में उल्लेख करना संभव नहीं होगा जो बाद में समग्र	
		निरस्त / प्रत्यावर्तित कर दिए गए, तथापि ऐसे मामलों का उल्लेख	
		करना अनिवार्य होगा जो न्यायाधिकारिता की सीमितता अथवा अभाव	
		जैसे तकनीकी कारणों और मेरिट पर न होने के कारण प्रतिवर्तित/	
		निरस्त किये गए हों. यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से	
		रोक दिया गया हो और अपील/न्यायिक प्रक्रिया लंबित हो तो उसका	
		उल्लेख किया जाना चाहिए)	
		निरस्त / प्रत्यावर्तित कर दिए गए, तथापि ऐसे मामलों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा जो न्यायाधिकारिता की सीमितता अथवा अभाव जैसे तकनीकी कारणों और मेरिट पर न होने के कारण प्रतिवर्तित/ निरस्त किये गए हों. यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से रोक दिया गया हो और अपील/न्यायिक प्रक्रिया लंबित हो तो उसका	



	D	Name of Bank in which he/she is or has been	
		a member of the board (giving details of period	
		during which such office was held)	
	E	Fund and non-fund facilities, if any, presently	
	-	availed of by him/her and/or by entities listed in	
		II (B) and (C) above from the Bank	
	F	Cases, if any, where the Candidate or entities	
	-		
		listed in II (B) and (C) above are in default or	
		have been in default in the past in respect of	
		credit facilities obtained from the bank or any	
		other bank.	
III		Records of professional achievements	
	Α	Professional achievements relevant	
IV		Proceedings, if any, against the Candidate	
	Α	If the candidate is a member of a professional	
		association/body, details of disciplinary action,	
		if any, pending or commenced or resulting in	
		conviction in the past against him/her or whether	
		he/she has been banned from entry of at any	
	D	profession/occupation at any time.	
	В	Details of prosecution, if any, pending or	
		commenced or resulting in conviction in the past	
		against the Candidate and/or against any of the	
		entities listed in II (B) and (C) above for violation	
		of economic laws and regulations	
	С	Details of criminal prosecution, if any, pending or	
		commenced or resulting in conviction in the past	
		against the Candidate	
\vdash	D	Whether the Candidate attracts any of the	
	ا	disqualifications envisaged under Section 164	
		of the Company's Act 2013 [Section 274 of the	
		Companies Act, 1956]	
	E	Has the Candidate or any of the entities at II (B)	
		and (C) above been subject to any investigation	
		at the instance of Government department or	
		agency?	
	F	Has the Candidate at any time been found	
		guilty of violation of rules/regulations/ legislative	
		requirements by customs/ excise /income tax/	
		foreign exchange /other revenue authorities, if	
		so give particulars	
	g	Whether the Candidate at any time come to	
		the adverse notice of a regulator such as SEBI,	
		IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc.	
		(Though it shall not be recessor for a seculidate	
		(Though it shall not be necessary for a candidate	
		to mention in the column about orders and	
		findings made by regulators which have been	
		later on reversed/ set aside in toto, it would be	
		necessary to make a mention of the same, in	
		case the reversal/ setting aside is on technical	
		reasons like limitation or lack of jurisdiction,	
		etc. and not on merit. If the order of regulator	
		is temporarily stayed and the appellate/ court	
		proceedings are pending, the same also should	
		be mentioned).	
			Conttd 4



	ान्य कोई स्पष्टीकरण/सूचना और ठीक						
और उचित पाए जाने के लिए वि	विचारणीय अन्य कोई सूचना.						
	वचनप	पत्र					
24 0 4 0 0							
	सुपुत्र						
करती हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानव	जारी और विश्वास में सही और पूर्ण है. मैं बैंव न	क को उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी	सभी घटनाओं, जो कि मेरी नियुक्ति के				
पश्चात होती हैं, की जानकारी यथासंभव	। शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का वचन देता हूं.						
मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादि	त किए जाने वाले वचन विलेख को निष्पादित	ा करने का भी वचन देता/देती हूं.					
स्थानः							
दिनांकः		प्रत्याशी के हस्ताक्षर					
अनुलग्नकः							
	क्रमानुसार अनुलग्नक में समुचित संदर्भ के	साथ सूचना.					
२ सभी पृष्ठों (अनुलग्नकों सहित) पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए.							
नामांकन समिति की राय/टिप्पणी							
सिमिति सदस्य के हस्ताक्षर	सिमिति सदस्य के हस्ताक्षर	सिमति सदस्य के हस्ताक्षर	Signature of Committee Member				
स्थानः							
दिनांकः							



regard to ite	explanation / information in ms I to III and other information elevant for judging fit and proper				
Undertaking					
I Son/ Daughter / Wife of Shri confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.					
I also undertake to execute the	e deed of covenant required to be e	executed by all directors of the I	Bank.		
Place :					
Date :		Signature of Candidate			
Enclosures: Note: Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate. Observations / Remarks of the Nomination Committee:					
Signature of Committee Member	Signature of Committee Member	Signature of Committee Member	Signature of Committee Member		
Place : Date :					



बैंक ऑफ़ बड़ीदा

प्रधान कार्यालय — मांडवी, बड़ौदा ३९० ००६

फॉर्म बी **प्रॉक्सी फार्म**

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)

हीगी आर्टही तं

	dell'Esti dell'estatione		वाना वााञ्चा नाः			
			ग्राहक आई. डी नं.			
	(यदि अभौतिक रूप से न हो)		(यदि शेयर अभौतिक रूप में हो)			
	शेयरों की संख्या					
ਸੈਂ/हੁਜ						
जिला.		राज्य	बैंक ऑफ़ बड़ौदा का/के	शेयरधारक होने के नाते एतद्दद्वारा श्री/		
				•••••		
राज्य.		को या उनके न होने पर श्री/श्रीमर्त	ì			
				को		
मंगल	वार, २२ दिसम्बर, २०१५ को प्रातः १०.	.00 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वड़	होदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी1,	एफ.पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास,		
ओल्ड	पादरा रोड, वडोदरा - ३९० ०२० में या इ	इसकी किसी स्थगित तारीख को बैंक अं	ॉफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली	असाधारण सामान्य बैठक में मेरी /हमारी		
ओर र	ने बैठक में भाग लेने और वोट देने के वि	लेए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूं/क	रते हैं.			
दिनांक	जमाहमा	2015 को हस्ताक्षरित		रसीदी		
				टिकट यहां		
				चिपकाएं		
प्रॉक्सी	के हस्ताक्षर			प्रॉक्सी/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर		
नाम						
•••						

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं जमा करने संबंधी अनुदेश

गंजीक्वत फोलियो संबय

- 1. प्रॉक्सी का लिखत तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि -
 - क. एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
 - ख. संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्मी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
 - ग. निकाय कार्पोरेट के मामले में, लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.

प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है तब यह तभी वैध माना जायेगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रिजस्ट्रार या उप रिजस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपित्रत अधिकारी या बैंक ऑफ़ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.

2. विधिवत स्टांपित होने एवं मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत हस्ताक्षर किए गये हैं अथवा उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट या किसी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की

- गयी हो के साथ बैंक के प्रधान कार्यालय या इसके ट्रांसफर ऐजेंट के पास सहायक महाप्रबन्धक (केवायसी एवं एएमएल विभाग), बैंक ऑफ बडौदा,आठवां तल, सूरज प्लाजा I , सयाजीगंज, वड़ोदरा-390 005 के पास असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात 17 दिसम्बर 2015 को कार्य समाप्ति के पूर्व यथा सायं 5.00 बजे या उससे पहले जमा किए जाने पर ही प्रॉक्सी को वैध माना जाएगा.
- 3. यदि संबंधित मुख्तारनामा पहले से ही पंजीकृत है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए.
- 4. प्रॉक्सी का लिखत फार्म "बी" में होने पर ही वैध माना जाएगा.
- 5. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगा.
- 6. विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी-लिखत के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
- 7. प्रॉक्सी-लिखत निष्पादित करने वाला शेयरधारक असाधारण सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान का हकदार नहीं होगा.
- 8. किसी भी व्यक्ति को, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा.
- प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए.



Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda - 390 006

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the Shareholders)

DP ID

	Regd. Folio No.					
	regul i olio ivo.		Client ID			
	(If shares are not dematerialized)			(If shares are dematerialized)		
	No. of Shares					
I/We			Resident	/s of		in
the di	strict of	i	n the State of			
being	a shareholder/s of BAN	K OF BARODA,	hereby appoint Shri/	Smt		resident of
						in the district
	iling him/her, Shri/Smt					
					•	•
	Extraordinary General Me					
	.00 a.m. at Sir Sayajirao Na		~	an, T. P. – 1	1, F. P. 549/1, Near	GEB Colony, Old Padra
Road	, Akota, Vadodara – 390 020), and at any adjou	rnment thereof.			
Signe	ed this da	v of	2015.			
J		,				
Signa	ature of the Proxy				Please a	ıffix
Olgilic	attice of the Freezy				Revenu	ue
Name	e :				Ctomr	
Δddr	ess:				Stamp	,
, taur						
				Sig	nature of first name	d / sole shareholder

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorized in writing, or
 - in the case of a body corporate signed by its officer and executed under its common seal, if any or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.
 - Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark/thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Baroda.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 8th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara-390 005, not less than FOUR DAYS before the date fixed for the

Extraordinary General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Thursday, 17th December 2015 together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank/its Share Transfer Agent.

- In case the relevant Power of Attorney is already registered, the registration number of the Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- 4. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"
- 5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
- The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
- 9. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

